

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में पंचायत समिति गोविन्दगढ़ का कनिष्ठ सहायक 06 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 15 दिसम्बर, गुरुवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये लोकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAYG), पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर को परिवादी से 06 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुसरी किश्त डालने की एवज में लोकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAYG), पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक डॉ. श्री विष्णुकान्त के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर ग्रामीण इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज टीम जयपुर ग्रामीण द्वारा श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही करते हुये लोकेश कुमार पुत्र स्व. श्री पूरण मल, निवासी प्लॉट नं. 10, बोद्ध विहार कॉलोनी, कचौलिया रोड़, चौमू, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAYG), पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जिला जयपुर को परिवादी से 06 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।